

# आवश्यक सूचना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत अनुबंध पर नियुक्त कर्मकृतिपय मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश/हड़ताल पर चले गये हैं। यद्यपि सरकार कर्मियों के मांगों के प्रति संवेदनशील है, अनुबंध पर नियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण द्वारा की गयी उक्त कार्रवाई अनुबंध से संबंधित एकरारनामा के कंडिका 21 में निहित प्रावधानों के सीधा उल्लंघन हैं। अतः हड़ताल पर गये पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण को सूचित किया जाता है कि 48 घंटे (अड़तालीस घंटे) के अंदर अपने कर्तव्य पर वापस नहीं लौट जाते हैं तो सक्षम प्राधिकार द्वारा एकरारनामा के कंडिका-11 के निहित प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण के अनुबंध के रद्दीकरण की कार्रवाई की जायेगी।

**प्रधान सचिव**

**ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना**

आर.-2446 (आर.डब्ल्यू.डी.)10-11

**सरकारी सेवा जनसेवा का माध्यम है। धर्म-ईमान की तरह इसे भी बेदाग रखें।**